एस0टी0 777/2017

राज्य बनाम राजीव आदि

दिनांकः 20–07–2018

आदेश

पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 5ब पर आदेश हेतु नितय है। अभियुक्तगण नासिर व आशीष शर्मा के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को पूर्व में प्रार्थनापत्र 5ब पर सुना जा चुका है। पत्रावली एस0टी0 777/2017 राज्य बनाम राजीव आदि का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र 5ब अभियुक्तगण नासिर उर्फ नसरुद्दीन व आशीष शर्मा द्वारा उनको उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण का कथन है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनको झूॅठा फसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न चोरी का सामान खरीदते हैं, न बेचते हैं और न अपने पास रखते हैं। फर्द बरामदगी में जो मोटरसाइकिल दिखायी गयी है उसकी प्लेट पर यू0पी0 80 सीबी 1260 लिखा है। बरामदगी कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सभी गवाह पुलिसजन हैं। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। पुलिस प्रार्थीगण को पकड़कर ले गयी व छोड़ने के एवज में रुपयों की मॉग की, न देने पर झूॅठे मुकदमा में संलिप्त कर दिया। प्रार्थी अशीष शर्मा ने कोई चुरायी गयी संपत्ति प्राप्त नहीं की व प्रार्थी नासिर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य करता है। प्रार्थीगण न कोई छल नहीं किया है न संपत्ति प्राप्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित किया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचित करने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क करते हुये कहा गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण न चोरी का सामान खरीदते हैं न बेचते हैं। फर्द बरामदगी झूॅठी बनायी गयी है। कथित बरामदगी व गिराफ्तारी का कोई जन साक्षी नहीं है जबकि घटनास्थल व्यस्त क्षेत्र है जहॉ 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है। सभी गवाह पुलिस कर्मचारी हैं जो हितबद्ध साक्षी हैं। पुलिस प्रार्थीगण को पूॅछताॅछ के लिये ले गयी व झूॅठे मुकदमा में बंद कर दिया। दोनों अभियुक्तगण ने किसी चोरी की संपत्ति को छिपाने में सहायता नहीं की है। अतः अभियुक्तगण कोउन्मोचित किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था (2014) 3 एस.सी.सी. 659 स्टेट आफ गुजरात बनाम गिरीश राधाकृष्न वारडे प्रस्तुत की गयी।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्तगण को मौके से अन्य अभियुक्तगण के साथ पकड़ा गया व उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल व उनकी निशानदेही पर अन्य मोटरसाइकिल, एक्टिवा व भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स आदि बरामद हुये हैं। विवेचना के उपरान्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण को उन्मोचित करने का कोई आधार नहीं हैं अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की।

यह दांडिक अभियोग वादी मुकदमा उप नरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण से मौके पर 3 मोटरसाइकिल व उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में बरामदगी होने के पश्चात प्रारम्भ हुआ। विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 41/102 दं0प्र0सं0 एवं धारा 414, 420 व 413 भा0दं0सं0 का आरोपपत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण नासिर व आशीष शर्मा द्वारा आरोप के स्तर पर उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

फर्द बरामदगी के अनुसार 6 अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03—08—2017 को 3 मोटरसाइकिल यू0पी0 80 सी.ए. 3680, यू.पी. 80 सी.बी. 1260 व बुलट यू0पी0 75 क्यू 6605 सहित गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रार्थी नासिर भी शामिल था। उक्त मोटरसाइकिल चोरी की होना अभियोजन द्वारा व स्वयं अभियुक्तगण द्वारा कहा गया। सभी अभियुक्तगण ने गिरफ्तारी के समय बताया कि हम वाहनों की चोरी करते हैं व उनकी नम्बर प्लेट बदलकर आशीष शर्मा को बेचते है। उल्लेखनीय है कि यह प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण नासिर व अशीष शर्मा द्वारा दिया गया है। सभी अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस पार्टी ने आशीष शर्मा के गोदाम पर छापा मारा व वहॉ से, 4 एक्टिवा, 2 मोटरसाइकिल, 38 अदद इंजन, 49 अदद मोटरसाइकिल की टंकी, 16 एक्टिवा की टंकी, 39 बाडी एक्टिवा, 29 साइलैन्सर, 64 पहिये बरामद हुये। आशीष शर्मा ने गिरफ्तारी के समय बताया कि यह सभी बरामद माल वह अभियुक्तगण से खरीदता है, जो चोरी का है, जिनको काटकर अलग अलग हिस्सों में बेचता है।

अभियुक्तगण जिनमें नासिर भी शामिल है, उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, जिसे वह स्वयं चला रहा था, बरामद हुयी व अन्य अभियुक्तगण के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुयीं व सभी अभियुक्तगण की निशानदेही पर चोरी की 4 एक्टिवा, 2 मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद हुये। बरामद शुदा मोटरसाइकिल अपराध संख्या अपराध संख्या 555/2017 धारा 379 भा0दं0सं0 व अपराध संख्या 595/2017 धारा 379 भा0दं0सं0 से संबंधित हैं। अभियुक्तगण से मौके पर बरामद मोटरसाइकिल व उनकी निशानदेही पर अन्य मोटरसाइकलि, एक्टिवा व गाड़ियों के पार्ट्स की बरामदगी को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचक द्वारा धारा 41/102 दं0प्र0सं0 व धारा 414, 420 व 413 भा0दं0सं0 का आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण की निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है और यह सभी चोरी का सामान अभियुक्तगण चोरी छिपे बेचने का कार्य करते थे। विवेचना में यह प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण वाहनों की चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर अशीष शर्मा को बेचते थे, जो गोड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने का कार्य करता है, और उसी के गोदाम से अभियुक्तगण की निशानदेही पर चोरी की 4 एक्टिवा, 2 मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद हुये। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 41/102 दं0प्र0सं0 एवं धारा 414, 420 व 413 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र 5ब वास्ते उन्मोचित किये जाने, निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक 31—07—2018 को पेश हो।

एस0डी0/—
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 6, आगरा